न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 94/24 निर्णय दिनांकः 24-12-25
(जीसीएमएस संख्या 2024/255)

1. पठाने खां पुत्र श्री हाजी कालू खां जाति मुसलमान निवासी बिजेरी (चक 2–3 टीडब्ल्युएसएम) तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. रोशन खां पुत्र श्रीरामली खां जाति मुसलमान निवासी बिजेरी तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. उगम कंवर पत्नी श्री हुकम सिंह निवासी डण्डलला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 02–08–2023
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपस्थितिः–

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अभय सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 02–08–2023 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधि विरूद्ध तरीके से चक 2–3 टीडब्ल्युएसएम के मुरब्बा नम्बर 207/41 के किला नम्बर 1 ता 10 की 10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का मीडियम पेच में आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि यह कि अपीलांट के नाम से चक 2–3 टीडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 207/33 के किला नम्बर 1 ता 25 की भूमि चली आ रही है तथा इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से चक 2–3 टीएनएसएम के मुरब्बा नम्बर 207/42 व मुरब्बा नम्बर 207/43 में भूमि चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चक 2–3 टीडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 207/41 के किला नम्बर 1 ता 10 की भूमि का बतौर मीडियम पेच में आवंटन किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्अ संख्या 1 को विधि विरूद्ध तरीके से किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 2–3 टीडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 207/41 के किला नम्बर 1 ता 10 की जिसका नक्शा संलग्न अपील है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पात्रता न होते हुए भी विधि विरूद्ध तरीके से आवंटन कर भारी विधिक भूल की है।

मीडियम पेच आवंटन में सभी चिपते काश्तकारो को सुना जाना आवश्यक होता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना नोटिस तामील की प्रकिया अपनाए एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत अपीलांट की प्रथम वरियता बनती थी। परन्तु बिना अपीलांट को सुने उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया है; अंतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–06–2023 निरस्त फरमाया जावे। अपीलांटस की प्रथम वरीयता मानकर उक्त भूमि अपीलांट को आवंटन करने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07–02–2023 को उक्त वादग्रस्त भूमि का पता लगाने आया तब सर्वप्रथम अपीलांट को उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–06–2023 की जानकारी हुई। उसी दिन नकल हेतु अपीलांट ने आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 09–02–2023 का नकल प्राप्त कर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः विलम्ब को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कंडोन करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 02–08–2023 को किया गया था। उक्त आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उन्होने आगे कथन किया कि वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर मिडियम पेच आवंटन किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात तहसील कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त की गई थी जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि का वर्णन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी एवं समस्त चिपते काश्तकारों को जरिये नोटिस सूचित भी किया गया था। अपीलाधीन अराजी बाबत किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में तथा तहसील कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट में अपीलाधीन अराजी शुद्ध रूप से अराजीराज होने, किसी प्रकार के स्थगन से प्रभावित नहीं होने तथा किसी प्रायोजनार्थ आरक्षित नहीं होने की स्थिति में ही वादगत भूमि का आंवटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अपीलांट को पूर्व में स्मालपेच आवंटन में भूमि प्राप्त हो चुकी है तथा अपीलांट अराजी जैर का आवंटन करवाने के लिए हकदार नही होने के कारण अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–08–2023 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 14–02–2024 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

6. प्रकरण मीडियम पेच में भूमि आवंटन से संबंधित है इसके लिए मीडियम पेच भूमि आवंटन से संबंधित प्रावधान का अवलोकन करना होगा। राजस्थान उपनिवेशन नियम (इन्दिरा गॉधी नहर परियोजना क्षेत्र में आवंटन व विकय) नियम 1975 के नियम 14–ए के अनुसार–

Allotment of Medium patch :- {1} Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, medium patch of Government land may be allotted to a tenure tenant whose tenure land adjoins such medium patch, subject to the ceiling area at the price of special allotment for land of a similar soil class in the neighbourhood.

Provided that if more than one tenant of the adjoining land apply for the allotment of the same medium patch, the allotment shall be made by sealed bid to the highest bidder subject to the ceiling limit.

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन पश्चात हस्तगत अपील में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि–

ए– क्या अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रश्नगत भूमि का चिपता काश्तकार है अथवा नही?

बी– क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व चिपते काश्तकारो को सम्यक रूप से सूचित किया अथवा नही?

सी– क्या अपीलाधीन आवंटन आदेश जारी करने में आवंटन की विधिक प्रकिया का पालन किया गया अथवा नही?

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन आवंटित भूमि चक 2–3 टीडब्ल्युएसएम के मुरब्बा नम्बर 207/41 के किला नम्बर 1 ता 10 में स्थित थी। अपीलांट की भूमि चक 2–3 टीडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 207/33 के किला नम्बर 1 ता 25 में स्थित है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि चक 2–3 टीडब्ल्युएसएम के मुरब्बा नम्बर 207/42 व के किला नम्बर 16 व 25 में स्थित है। इससे स्पष्टतः प्रकट होता है कि अपीलांट उक्त आवंटित अपीलाधीन भूमि का चिपता काश्तकार (टेन्योर टिनेन्ट) था। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि अराजीराज/प्रश्नगत भूमि की चिपती नही थी। इस सूरत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 इस भूमि का टेन्योर टिनेन्ट नही था। इन्दिरा गॉधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय नियम, 1975 के नियम 14 ए के अनुसार – मीडियम पेच में सरकारी भूमि का आवंटन चिपते काश्तकार को ही किया जा सकता है। एक से अधिक चिपते काश्तकार होने की सूरत में भूमि का आवंटन जरिये नीलामी किया जाएगा।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन भूमि के चिपते काश्तकारो का प्राथमिकता कमानुसार विवरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया था। इस प्राथमिकता विवरण में अपीलांट की प्राथमिकता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उपर उल्लेखित थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन चिपते काश्तकारो को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

साबित होता हो कि इन चिपते काश्तकारो को नोटिस की सम्यक तामील हुई हो। पत्रावली पर नोटिस की प्रतियॉ उपलब्ध है जिन पर तामील का कोई पृष्ठांकन नही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सूचना दिनांक 28–03–2023 को प्रकाशित की गई। जबकि इस सूचना की चस्पानगी 5 माह पश्चात दिनांक 01–08–2023 को केवल पटवारी के हस्ताक्षर से करवाना प्रतीत होता है। तहसीलदार द्वारा सार्वजनिक सूचना की चस्पानगी की रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

उपर्युक्त विवेचन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन भूमि के आवंटन से पूर्व चिपते काश्तकारो को सम्यक रूप से सूचित नही किया गया। टिन्योर टिनेन्ट को उक्त भूमि आवंटन न करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जिसकी भूमि आवंटन योग्य भूमि की चिपती भूमि नही थी, आवंटन किया गया। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त चिपते काश्तकारो को सूचित किया जाता और जरिये नीलामी अपीलाधीन भूमि का आवंटन किया जाता तो राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होती। इस सूरत में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नही आता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़, बज्जू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–08–2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सहित समस्त चिपते काश्तकारो को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24-12-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर